उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-06

संख्या-56/2025/291/ 002-23-6099-34-2024

लखनऊ, दिनांकः 03 फरवरी, 2025

<u>शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2024-25 में धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरणसुदृढीकरण एवं विकास / हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना अन्तर्गत गोरखपुर मण्डल के 02चालू कार्यों पर धनावंटन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या35-/2025/291/002-23-6099-34-2024, दिनांक 28-01-2025 में तालिका के क्रमांक-2 पर अंकित खण्ड/जनपद के नाम वाले कॉलम में त्रुटिवश नि0ख0-3 गोरखपुर के स्थान पर प्रा0ख0 गोरखपुर अंकित हो गया है। अत: उक्त शासनादेश में अंकित **'प्रा0ख0 गोरखपुर'** को **'नि0ख0-3 गोरखपुर'** पढा जाय।

2- उक्त शासनादेश के शेष प्राविधान तथा शर्ते यथावत रहेंगी।

शिव कुमार
अनु सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।

2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।

3- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज ।

4- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 प्रयागराज ।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त जिलाधिकारी ।/

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

6- मुख्य अभियन्ता मु)0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी कोषाधिकारी।/

10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-4/वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।

12- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र0 शासन ।

13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजनपरियोजना/, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

14- लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन ।

15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।

16- गार्ड फाईल।

शिव कुमार
अनु सचिव

https://shasan

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।